राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे।

II- श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

III - श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

IV- श्री अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति
के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री राजेन्द्र राठौड़, सभापति, प्रवर समिति, राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..3..

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(1) श्री जोगाराम पटेल (वि.सं.-67), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

''इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।''

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख (वि.सं.-68), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 फरवरी, 2015